FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खींवसर...

भागीरथ बनाम मागीलाल

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

मु. नं.....85 .सन्..2017.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	22.06..2017	
	वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्व वाद बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । जो दर्ज रजिस्टर हो, तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.08..2017 को पेश हो। 3. B सहायक कलक्टर खींवसर	
3/8	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित 1,2 की ओर से [illegible] पीठासीन [illegible] में/भ्रमण/ स्थान [illegible] काश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 16-10-17 को प्रस्तुत हो।	
16-10	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन [illegible] में/भ्रमण/ स्थान [illegible] काश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक.27-12 को प्रस्तुत हो।	
27/12/17	पक्षकार [illegible] उपस्थित पीठासीन [illegible] /भ्रमण/ स्थान [illegible] पर गये हुए है। पत्रावली [illegible] दिनांक.26/2/18 को प्रस्तुत हो।	
	26-2-18 पत्रावली पेश। वकील-वादी प्रतिवादीगण तथा मौजिज व्यक्तियों [illegible] पेश। [illegible] [illegible] 22.5.18 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/12/22	पत्रावली पेश। प्रतिवादी [illegible] के नोटिस बाद तामिल [illegible] मौजूद। प्रतिवादी सं 1, 2 की तरफ से [illegible] (3.8.17) वकालतनामा [illegible]। प्रतिवादी सं (3) की तलबी हेतु [illegible] की नोटिस Reg/A से वकीलपार्टी के द्वारा भेजे जावे। तलबी पेश करने उपरान्त OSRJ के तहत कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली में प्रस्थ हेतु अधिक अवसर अन्यथा उचित बाद माना जायेगा। मिसल शेष की तलबी एवं प्रस्थ हेतु दिनांक 14/12/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर
14/12/22	पत्रावली पेश। वादिवादी मय वादी को बार बार आवाज दिलवायी गयी, मगर गैर हाजिर अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर वादी के वाद को अदम पैरवी-अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। वादी के निवेदन पर इस प्रकरण को Restore किया जा सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, रजिस्टर से बस्ता होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर